कार्यालय, अंचल अधिकारी, कोडरमा।

विविध वाद सं0 17/2016–17

मो0 आरिफ अंसारी,
वास्ते जगन मियां
ग्राम– असना, झु0 ति0,
जिला–कोडरमा।

01/8/16 आवेदक मो0 आरिफ अंसारी, ग्राम असना, झु0 ति0, जिला कोडरमा के द्वारा आवेदन दिया गया है कि मौजा असना, थाना नं0 245, खाता नं0 94, प्लॉटों का रकवा 0.53 एकड भूमि का लगान रसीद पंजी ।। के पृष्ठ सं0 65/6 में जगन मियां पिता हुसैन मियां के नाम से कटते चला आ रहा है। वर्ष 2006–07 का लगान रसीद संलग्न है। पंजी ।। फटा होने के कारण राजस्व कर्मचारी के द्वारा मालगुजारी रसीद निर्गत नहीं किया जा रहा है। उक्त जमीन का अद्यतन मालगुजारी रसीद निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है। अतएव उक्त भूमि के संबंध में हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से जॉच प्रतिवेदन की मांग करें।

अभिलेख दिनांक 22/8/16 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
कोडरमा।

22/8/16
3/9/16 अभिलेख उपस्थापित।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जॉच कर विहित प्रपत्र में प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा असना, थाना नं0 245 के चालु पंजी ।। के पृष्ठ सं0 36A/6 पर खाता नं0 94, रकवा 0.53 एकड भूमि की जमाबन्दी से संबंधित पंजी ।। वर्षों पुराना होने के कारण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। जिस कारण जमाबन्दी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। आवेदक के द्वारा लगान रसीद 0004495 दि0 12.07.06 की छायाप्रति संलग्न किया गया हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि का जमाबन्दी पंजी ।। के पृष्ठ सं0 36A/6 में जमाबन्दी दर्ज था। उक्त लगान रसीद को रसीद भन्डार पंजी से मिलान करने पर भन्डार पंजी में दर्ज पाया गया।

स्थल जांच के कम में मो0 सज्जाद पिता अब्दुल रहमान, मो0 इफतेबार पिता स्व जाफर अली, मो0 हासीम पिता स्व0 नूर मोहम्मद, मुर्शिद आलम पिता स्व0 खुर्शिद आलम, मो0 वकली पिता मो0 खलील से पुछताछ की गई। इनके द्वारा बताया गया कि उक्त जमीन पर जमाबन्दीधारक का दखल कब्जा है। किसी के द्वारा आपति दर्ज नहीं कराया गया है। आवेदक द्वारा 0.53 ए0 भूमि का रसीद संलग्न किया गया है, जिसका लगान रसीद कटवाने हेतु आवेदन दिया गया है।

16/06/23

उल्लेखनीय है कि फटे हुये पंजी ।। का नया जमाबन्दी खोलने हेतु अपर समाहर्त्ता, कोडरमा के आदेश ज्ञापांक 140/रा0 दिनांक 02.02.16 से दिशा निर्देश प्राप्त है।

राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर अंचल अमीन के मापी प्रतिवेदन के अनुसार खाता नं0 94 प्लॉट नं0 2165, 2166, 2167, 2180, रकवा 0.53 ए0 भूमि पर मो0 आरिफ अंसारी का दावा स्पष्ट है। राजस्व अभिलेखों की त्रुटि के लिए रैयत के हित को प्रभावित किया जाना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। राजस्व हित में संबंधित भू--भाग से राजस्व की वसूली राज्य हित में है। ऐसे मामले में अपर समाहर्त्ता, कोडरमा द्वारा जमाबन्दी कायम करने का आदेश प्राप्त है।

अतः उपर्युक्त के आलोक में मौजा असना, थाना नं0 245, खाता नं0 94, प्लॉट नं0 , रकवा 0.53 एकड भूमि की जमाबन्दी जमाबंदीधारक जगन मियां पिता हुसैनी मियां के नाम से कायम करने का आदेश दिया जाता है। संबंधित राजस्व कर्मचारी अनुपालन प्रतिवेदन एक पक्ष के अन्दर प्रस्तुत करें।

अंचल अधिकारी,
कोडरमा ।

मिलानकर्त्ता 16/06/23

सत्यापनकर्त्ता 16/06/2023

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि
प्रधान लिपिक, कोडरमा अंचल
16/06/23

क्षतिग्रस्त / विनष्ट जमाबंदी पृष्ठों के संबंध में जमाबंदी खोलने हेतु प्रतिवेदन

(अपर समाहर्त्ता के आदेश ज्ञापांक 140 / रा0 दिनांक 02 / 02 / 2016 के अनुसार)

1. आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गए निम्नांकित लगान रसीदो का मिलान निम्न प्रकार किया गया हैं--

	रसीद सं0--	दिनांक--	वर्ष--	अभियुक्ति
(1)	0004495	12/3/06	2006-07	मौजा [illegible] थाना नं० 45 के [illegible] के खाता नं० 94 [illegible] [illegible] [illegible] के नाम से रसीद जो [illegible] [illegible] है

2. लगान रसीद के आधार पर अंचल में संधारीत पंजी 7 / 27 से संबंधित दाखिल खारीज वाद सं0 से मिलान किया गया:--

3. निम्नांकित खतियानी रैयत / बंशज से इस संबंध में पुछताछ की गई:–

4. आस–पास निम्नांकित रैयतो से भी पुछताछ की गई:–

(1) (मो० सज्जाद) पिता - अब्दुल रहमान
(2) (मो० इफ्तेखार) पिता - स्व० जाफर अली
(3) मो० हसीन पिता - स्व० नूर मोहम्मद
(4) मुर्शिद आलम पिता - स्व० खुर्शीद आलम
(5) मो० [illegible] पिता - मो० खलील

16/06/23

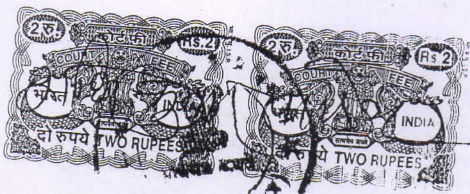

5. कर्मचारी का सत्यापन प्रतिवेदन एवं अनुसांशाः– महाशय
मौजा अहरा थाना 245 के [illegible] 36A/6 पर खाता नं 74 रकबा 0.53 एकड़ भूमि [illegible] के नाम से दर्ज था। वर्तमान में उक्त पंजी के पृष्ठ सं 36A/6 पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। अत: अमीन द्वारा मापी के पश्चात [illegible] कायम करने की कारवाई की जा सकती है।

अंचल अमिन–

राजस्व कर्मचारी–

अंचल निरीक्षक–

अंचल नाजिर –

अंचल अधिकारी का अनुसंशा:-

16/06/23
मिलानकर्त्ता

16/06/2023
सत्यापनकर्त्ता

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि
[illegible]
16/06/23
प्रधान लिपिक, [illegible]
सरकार पत्र [illegible]
भूमि सुधार उप-समाहर्ता, हजारीबाग के
[illegible] दिनांक 25-11-80 ई

2 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.2 भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

2 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.2 भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

...रमा (झारखण्ड)

सेवा में,

श्री मान् अंचल अधिकारी,

कोडरमा।

विषय :— श्र आवेदक श्री आलोक .... अन्नावाद के द्वारा दिये गये आवेदन पत्र के .... जाँच प्रतिवेदन का प्रेषण,

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आवेदक .... [illegible] .... सचिव आसना के द्वारा दिये आवेदन पत्र के आलोक में .... स्थल पर जाकर एवं आवेदक की उपस्थिति में .... खाता न ९४ प्लॉट न क्रमश: - 2165 रकबा 0.02 एकड़ के प्लॉट न 2166 रकबा 0.05 एकड़ प्लॉट न 2167 रकबा 0.52 एकड़ एवं प्लॉट न - 2180 रकबा 0.10 एकड़ भूमि की स्थल जाँच किया गया। स्थलीय जाँच पर आवेदक द्वारा बताया गया कि प्लॉट न. 2167 रकबा 0.52 एकड़ में से .... 16 1/16 डी. भूमि की बिक्री कर दी गई है तथा प्लॉट न 2180 रकबा 0.10 एकड़ में से 2 1/2 डी भूमि की बिक्री की गई है तथा प्लॉट न - प्लॉट न. 215 डी भूमि की बिक्री .... गई है इस प्रकार से कुल 0.20 एकड़ भूमि की बिक्री .... है तथा शेष बचे भूमि 0.53 एकड़ भूमि पर आवेदक एवं उनके .... वारिसानों का मकान एवं चारदिवारी किया हुआ है। .... के .... प्रकार का कोई आपत्ति किसी अन्य द्वारा नहीं किया गया। इस प्रकार आवेदक के संबंधित भूमि की .... की जाँचोपरान्त आगे की कार्रवाई की जा सकती है।

अत: प्रतिवेदन श्री मान् को सूचनार्थ समर्पित।

विश्वासभाजन

(सुबोध कुमार वर्मा)

अं. आमीन

कोडरमा।

16/06/23

मिलानकर्त्ता

16/06/2023

समर्पणकर्त्ता

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि

(हस्ताक्षर) 16/06/23

प्रधान लिपिक .... कोडरमा

सरकार पत्र .... भूमि सुधार उप-समाहर्ता, हजारीबाग के .... सं० ६६७१ दिनांक २४-११-६० के